

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाजरिंग बोर्ड विदितता विनियम 1970 के अंतर्गत हाजरिंग बोर्ड कर्मचारियों को विदितता सुविधाओं में विस्तार करते हुये भगवान महावीर कैसर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के साथ विदितता उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है:-

विशेष शर्तें:-

=====

1. हास्पिटल में घर्षिगम रोगी (ओ.पी.डी.) / आन्तरिक रोगी के रूप में शर्तों होने पर कुल देय राशि में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी ।
2. इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मंडल द्वारा अन्य प्राथमिक हास्पिटलों पर लागू है, इन पर भी लागू होगी ।


उपर्युक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अवेक्षा में जारी किया जाता है ।

ए०

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. आ. मं., जयपुर
2. कारिष्ठ 'मिजी' सहायक-सचिव/वि. स. एवं मु. से. ज. /आ.सि. मुख्य अभियंता, रा. आ. मं.
3. उप आवासन आयुक्त, वृत्त:.....
4. आवासोप अभियंता, छण्ड:..
5. लेखाधिकारी, वित्त/भुगतान, रा. आ. मं., जयपुर
6. सगस्त अधिकारी/सगस्त प्रकोष्ठ, मु. ल. ..
7. विदितता निदेशक, घो. एम. सी. एच. एण्ड आर. सी., जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
8. रक्षित पत्रावली/नोटिफ दौड

  
सचिव